सं०सं०–5/5/ विविध–22–07/2017 –

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

कार्यालय आदेश

स्वास्थ्य विभाग में कंडेम/नष्ट करने योग्य संचिकाओं/अभिलेखों को नष्ट करने हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–1379(5) दिनांक–11.12.2015 द्वारा एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति के अध्यक्ष तत्कालीन अवर सचिव श्री सतीश कुमार विद्यार्थी के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप कंडेम/नष्ट करने योग्य संचिकाओं/अभिलेखों को नष्ट करने हेतु त्रिसदस्यीय समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है :–

1–	श्री रवीन्द्र यादव, अवर सचिव	–	अध्यक्ष
2–	डा0 उमेश्वर प्रसाद वर्मा, अपर निदेशक	–	सदस्य
3–	सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने – अपने प्रशाखा हेतु	–	सदस्य

2– संचिकाएँ/अभिलेख को नष्ट करने से पूर्व उनकी वस्तु सूची (Inventory) बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। सूची में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी संचिका को कन्डेम हेतु अनुशंसा करेंगे।

3– ऐसे Electronic उपकरण जो काफी पुराने हैं, कार्यरत नहीं है तथा कन्डेम योग्य है को आई0टी0 मैनेजर के सर्टिफिकेट के उपरांत कन्डेम/नष्ट/निलामी की कार्रवाई प्रशाखा–5 के प्रशाखा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

4– संबंधित पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से उपर्युक्त कार्रवाई ससमय संपादित करने हेतु सत्त पर्यवेक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की कोताही/लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी।

5– उपर्युक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/ विविध–22–07/2017–900(2)/स्वा०, पटना, दिनांक :–22/7 /2019

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव सचिव/निदेशक प्रमुख/सभी अपर निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा/आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/7/19
सरकार के अवर सचिव।